

(2)

नंदगारी 844-PBR-15

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

जब्बार पिता मेहमुद जाति मुसलमान
उम्र 50 वर्ष धंधा खेती
निवासी ग्राम सामर तह0 व जिला धार

.....निगरानीकर्ता

बनाम

मेहमुद फौत वारीसान :-

1. मुस्तफा पिता मुस्तकीम जाति मुसलमान
निवासी ग्राम सामर तह0 व जिला धार
2. हबीबनुर पिता मुस्तकीम जाति मुसलमान
निवासी ग्राम सामर तह0 व जिला धार
3. शहजादबी पिता मुस्तकीम पति आरीफ जाति मुसलमान
निवासी ग्राम सुखेडा तह0 व जिला धार
4. कुलसुम बी पिता मुस्तकीम बेवा मुस्तकीम जाति मुसलमान
निवासी ग्राम सागोर तह0 व जिला धार
5. शाकीर खां पिता वली मोहम्मद जाति मुसलमान
निवासी ग्राम सामर तह0 व जिला धार
6. नासीर खां पिता वली मोहम्मद जाति मुसलमान
निवासी ग्राम सामर तह0 व जिला धार
7. शाहीद खां पिता वली मोहम्मद जाति मुसलमान
निवासी ग्राम सामर तह0 व जिला धार
8. सरताज बी पिता वली मोहम्मद पति आसीफ जाति मुसलमान
निवासी मायापुरी धार तह0 व जिला धार
9. अफसाना बी पिता वली मोहम्मद पति अजहर जाति मुसलमान
निवासी देपालपुर जिला इंदौर
10. अब्दुल हमीद पिता गुल खां जाति मुसलमान
निवासी ग्राम सामर तह0 व जिला धार
11. अजीज खां पिता गुल खां जाति मुसलमान
निवासी ग्राम सामर तह0 व जिला धार
12. गनीखां पिता गुल खां जाति मुसलमान
निवासी ग्राम सामर तह0 व जिला धार


१०
Alchaturi
22-५-१५

श्री अच्छार अपतुष्टि
द्वारा आज दि 22-५-१५ को

प्रस्तुत

द्वारा दिन 22-५-१५
कामकाजीक कर्ता
शास्त्रस्य मण्डल ग्राम ग्वालियर

बवाई



::2::

13. हफिज खां पिता गुल खां जाति मुसलमान
निवासी ग्राम सामर तह0 व जिला धार
14. सईद खां पिता गुल खां जाति मुसलमान
निवासी ग्राम सामर तह0 व जिला धार
15. शेहनाज बी पिता गुल खां पति नईम खांजाति मुसलमान
निवासी काजीपुरा बदनावर जिला धार
16. अफसाना बी पिता गुल खां पति हकीम जाति मुसलमान
निवासी ग्राम रामपुर जिला शाजापुर
17. कल्लो बी बेवा गुल खां जाति मुसलमान
निवासी ग्राम सामर तह0 व जिला धार
18. भुरु खां पिता मेहमुद खा जाति मुसलमान
निवासी ग्राम सामर तह0 व जिला धार
19. रसीद खां पिता मेहमुद खा जाति मुसलमान
निवासी ग्राम सामर तह0 व जिला धार
20. जब्बार खां पिता मेहमुद खा जाति मुसलमान
निवासी ग्राम सामर तह0 व जिला धार
21. अच्युब खां पिता मेहमुद खा जाति मुसलमान
निवासी ग्राम सामर तह0 व जिला धार
22. जुबेदाबी पिता मेहमुद खा पति हुसैन खां जाति मुसलमान
निवासी जल्ला कालोनी खजराना इंदौर
23. रईसाबी पिता मेहमुद खां पति मकबुल पटेल जाति मुसलमान
निवासी ग्राम सुखेडा तह0 व जिला धार
24. नफीसा बी पिता मेहमुद खां विधवा कल्लु जाति मुसलमान
निवासी अशरफी कालोनी खजराना इंदौर
25. शमीनाबी पिता मेहमुद खां पति असलम खां जाति मुसलमान
निवासी ग्राम सामर तह0 व जिला धार
26. जैनुबी पिता मेहमुद खां पति गुड्डु
निवासी खण्डेराव टेकरी धार

.....विपक्षीगण

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 मुजब

::3::

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता का अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि जब्बार खातेदार ने ग्राम सामर की भूमि सर्वे नंबर 228/1 रकबा 3.236 हैक्टर लगान .0.29 पैसे का विधिवत हिब्बा निगरानीकर्ता के हक में करता है स्वयं ने अपनी हयाती में हिब्बा संपादन उस पर फोटो आदि लगाने की बात गवाहो की बात मंजुर की शपथ पर कथन दिये हैं जो मिसल में मोजुद है अन्य आधार हमने पेश किये हैं इस बीच मेहमुद खां का स्वर्गवास हो गया होकर वह फौत पाया व समस्त वारीसान को कोई उज्ज नहीं है हमने अपनी ओर से आदेश 18 नियम 4 जाऊदी० मुजब पेश किया एक गवाह हो गया अन्य गवाह उपस्थित थे वक्त आवाज कारणवश उपस्थित नहीं हो सके उसी समय तत्काल उपस्थित हुए प्रतिपरीक्षण विपक्षी को करना था हमे अपने दस्तावेज प्रदर्शित करना थे जो राजस्व प्रकरण क्रमांक 42/2013-14/अ-6 में आज्ञा दिनांक 08.04.15 जो तहसीलदार महोदय धार द्वारा मुख्य परीक्षण का अधिकार समाप्त कर दिया और प्रतिपरीक्षण उल्लेख कर प्रतिप्रार्थी साक्ष्य के लिए नियत कर दिया सारी आज्ञा दिनांक 08.04.15 की अवैध है हमने पुनः साक्ष्य लिये जाने बाबद निवेदन किया है जो नामंजुर कर दिया विधि से हम प्रोजीड्यूस हुए हैं अतः कास्ट पर साक्ष्य ले सकते थे उसी दिनांक को गवाह भी हाजिर है ऐसी दशा में गवाह ली जा सकती थी अवसर समाप्ति की आज्ञा अत्यंत कठोर रुख लिये हुए है उसे अपास्ती बाबदयह वर्तमान निगरानी निम्न आधारो पर सादर सदभावनापूर्वक कानून सम्मत पेश है :-

:: आधार निगरानी ::

1— यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने मेरी अर्ज साक्ष्य लिये जाने बाबद साक्षी मोजुद होते हुए उन्हे न लेकर नामंजुरी विधिक नहीं है परवर्स है।

2— यह कि विद्वान तहसीलदार महोदय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि मैं स्वयं प्रार्थी उपस्थित था गवाह थोड़ी देर के लिए कारणवश उपस्थित नहीं हुए तो क्षणिक अवसर देकर मुख्य परीक्षण लेकर प्रार्थी के गवाहो का मुख्य परीक्षण विचार में लेकर दस्तावेज प्रदर्शित होकर उनकी उपस्थिति दस्तावेजो में है प्रतिपरीक्षण का अवसर टेना था रिपक्षी अभिभाषक भी उपस्थित थे ऐसी दशा में ताबड़तोब में प्रतिपरीक्षण का चुना जाएगा

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 844-पीबीआर/2015 जिला धार

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-03-19	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>अध्यक्ष</p>	